

कारपोरेशन आदेश संख्या 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर
का पेंशन पुनरीक्षण विवरण

| क्रमांक | पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम | पदनाम | कोषागार का नाम | डिस्पैच | दिनांक |
|---------|---|-----------------------|----------------|---------|----------|
| 1 | श्री राम अवध यादव | अवर अभियन्ता | सोनमद | 1210 | 31.01.19 |
| 2 | श्री नैन सिंह | अवर अभियन्ता | गाजियाबाद | 1273 | 31.01.19 |
| 3 | श्री हरि शंकर सिंह | अवर अभियन्ता | रायबरेली | 1265 | 31.01.19 |
| 4 | श्री तेज बहादुर यादव | अवर अभियन्ता | बलिया | 1256 | 31.01.19 |
| 5 | श्री इन्देश कुमार रस्तोगी | अवर अभियन्ता | मुरादाबाद | 1264 | 31.01.19 |
| 6 | श्री राम नाथ | अवर अभियन्ता | मिर्जापुर | 1262 | 31.01.19 |
| 7 | श्री नाहर सिंह | संगणक | गाजियाबाद | 1217 | 31.01.19 |
| 8 | श्री गिरजा शंकर मिश्रा | अवर अभियन्ता | सिद्धार्थनगर | 2349 | 05.03.19 |
| 9 | श्री ओपाल सिंह | अवर अभियन्ता | शामली | 2049 | 23.02.19 |
| 10 | श्री ब्रज मोहन तिवारी | अवर अभियन्ता | रायबरेली | 2047 | 23.02.19 |
| 11 | श्री हरि मोहन श्रीवास्तव | कार्यालय-अधीन-द्वितीय | फैजाबाद | 1633 | 12.02.19 |
| 12 | श्री सैय्यद हामिद अली रिजवी | अवर अभियन्ता | बस्ती | 1154 | 30.01.19 |
| 13 | श्री मबरूर हसन | अवर अभियन्ता | रामपुर | 1875 | 18.02.19 |
| 14 | श्री श्याम देव शर्मा | अवर अभियन्ता | अलीगढ़ | 1727 | 14.02.19 |
| 15 | श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व० हरी सिंह | कार्यालय सहायक-प्रथम | हाथरस | 1992 | 22.02.19 |
| 16 | श्री राम बिलास सिंह | अवर अभियन्ता | मिर्जापुर | 1821 | 16.02.19 |
| 17 | श्री महेन्द्र पाल यादव | अवर अभियन्ता | बागपत | 1879 | 18.02.19 |
| 18 | श्री अन्सार अली | अवर अभियन्ता | बिजनौर | 1873 | 18.02.19 |
| 19 | श्री सतीश कुमार यादव | अवर अभियन्ता | गौतमबुद्धनगर | 1724 | 14.02.19 |
| 20 | श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव | अवर अभियन्ता | फतेहपुर | 1151 | 30.01.19 |
| 21 | श्री धरमर सिंह भदौरिया | अवर अभियन्ता | मैनपुरी | 1203 | 30.01.19 |
| 22 | श्री विजय शंकर त्रिपाठी | अवर अभियन्ता | फतेहपुर | 1213 | 31.01.19 |
| 23 | श्री लक्ष्मीकान्त श्रीवास्तव | अवर अभियन्ता | बाराबंकी | 1155 | 30.01.19 |
| 24 | श्री मन्तरजीत तिवारी | अवर अभियन्ता | सहारनपुर | 1025 | 25.01.19 |
| 25 | श्रीमती अन्नपूर्ण गोयल पत्नी स्व० महेश कुमार गोयल | अवर अभियन्ता | रामपुर | 1024 | 25.01.19 |
| 26 | श्री शिव गोपाल राम | अवर अभियन्ता | बलिया | 1550 | 08.02.19 |
| 27 | श्री ओमनाथ गुप्ता | अवर अभियन्ता | वाराणसी | 1798 | 16.02.19 |
| 28 | श्री अनिरुद्ध सिंह | अवर अभियन्ता | महोबा | 1306 | 01.02.19 |
| 29 | श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० चेतन प्रकाश गोयल | अवर अभियन्ता | मेरठ | 1221 | 31.01.19 |
| 30 | श्री महेन्द्र कुमार जैन | अवर अभियन्ता | मेरठ | 1822 | 18.02.19 |
| 31 | श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह | अवर अभियन्ता | जौनपुर | 1269 | 31.01.19 |
| 32 | श्री मुनिराज यादव | अवर अभियन्ता | जौनपुर | 1876 | 18.02.19 |
| 33 | श्री प्रभा शंकर शर्मा | अवर अभियन्ता | बरेली | 1145 | 30.01.19 |
| 34 | श्री चन्द्र गोपाल | अवर अभियन्ता | बरेली | 1925 | 20.02.19 |
| 35 | श्री शिव कुमार सिंह | अवर अभियन्ता | बरेली | 1926 | 20.02.19 |
| 36 | श्रीमती राज बाला शर्मा पत्नी स्व० कामेश्वर प्रसाद शर्मा | अवर अभियन्ता | मुरादाबाद | 1780 | 15.02.19 |
| 37 | श्री रईस अहमद | अवर अभियन्ता | मुरादाबाद | 1214 | 31.01.19 |
| 38 | श्री गोपाल टण्डन | अवर अभियन्ता | मुरादाबाद | 1874 | 18.02.19 |
| 39 | श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता | अवर अभियन्ता | मथुरा | 1556 | 08.2.19 |
| 40 | श्री सतैन्द्र पाल सिंह | अवर अभियन्ता | मथुरा | 1801 | 16.02.19 |
| 41 | श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० बदी प्रसाद श्रीवास्तव | अवर अभियन्ता | झांसी | 1625 | 12.02.19 |
| 42 | श्री लक्ष्मण शरण गुप्ता | अवर अभियन्ता | झांसी | 1581 | 11.02.19 |

| क्रमांक | पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम | पदनाम | कोषागार का नाम | डिस्पैच | दिनांक |
|---------|--------------------------------|--------------|----------------|---------|----------|
| 43 | श्री सैय्यद अली अंसारी | अवर अभियन्ता | गोरखपुर | 1212 | 31.01.19 |
| 44 | श्री मोला नाथ यादव | अवर अभियन्ता | गोरखपुर | 1208 | 31.01.19 |
| 45 | श्री श्वेत केतु | अवर अभियन्ता | गाजियाबाद | 1157 | 30.01.19 |
| 46 | श्री जगन्नाथ | अवर अभियन्ता | गाजियाबाद | 1763 | 15.02.19 |
| 47 | श्री बाल कृष्ण वर्मा | अवर अभियन्ता | उन्नाव | 2044 | 23.02.19 |
| 48 | श्री जनमेजय सिंह यादव | अवर अभियन्ता | उन्नाव | 2046 | 23.02.19 |
| 49 | श्री लाल बहादुर सिंह | अवर अभियन्ता | प्रयागराज | 1825 | 18.02.19 |
| 50 | श्री गंगा मणि गिरि | संगणक | प्रयागराज | 1026 | 25.01.19 |



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1210/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1134/02-03

दिनांक: 31.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
सोनभद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम अवध यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम अवध यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 1193 दिनांक 26.03.2003 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 30.10.1944 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती कौशल्या देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |

2.

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.10.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 8550-13500 |
| (घ) वेतन | : | 10200/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 4869/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 1947/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2922/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3060/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 63 छमाही |

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विहित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 63300/- |

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-

| | | |
|--|---|---------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 31650/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | 30212/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 30212/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 1947/- |

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1210/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1134/02-03 दिनांक: 31.01.2019

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जल संयंत्र खण्ड, रा० विद्युत उत्पादन नि० लि०, ओबरा, सोनभद्र।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण सामान्य खण्ड-द्वितीय, ओबरा, सोनभद्र, को सेवापुरितका मूल रूप से संलग्न कर प्रेषित।
4. श्री राम अवध यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम०-6 जी-14, ओबरा, सोनभद्र।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1273/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4612/10-11

दिनांक: 31.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नैन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नैन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्धता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 4232 दिनांक 18.09.2010 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 04.01.1952 1950 <i>shy</i> |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती गीता देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.01.2010 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रेडपे 5400 |
| (घ) वेतन | : | 19750 + 5400 = 25150/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 12575/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 4782/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7793/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 7545/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 65200/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 32600/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन गैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 32600/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 4782/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 27818/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 19560/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1273/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4612/10-11 दिनांक: 31.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मोदी नगर।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत 400 के०वी० उपकेन्द्र तिलपता मकोडा रोड, ग्रेटर नोएडा को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- श्री नैन सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-रावली रोड जीनपुर, मुवादनगर, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1265/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2168/04-05

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री हरि शंकर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री हरि शंकर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 2384 दिनांक 15.07.2005 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 12.03.1946 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती मीना देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.03.2004 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 10650-15200 |
| (घ) वेतन | : | 14875/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 7438/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2975/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 4463/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4463/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 11 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 88400/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 44200/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 33850/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुभन्ध होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 44200/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 2975/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 41225/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 26520/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के अन्तर्गत कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो को भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1265/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2163/04 05 दिनांक: 31.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब उ०पी० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
- श्री हरि शंकर सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गाम-पैसरभापुर, पो०-ईजईपुर, प्रतापगढ़।
- सचिव, उ०पी० पावर लेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1256 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6289 / 15-16

दिनांक: 31.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बलिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री तेज बहादुर यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री तेज बहादुर यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 5338 दिनांक 21.04.2015 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 01.07.1954 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती तेजरी देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- सेवानिवृत्त तिथि

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त तिथि | : | 30.06.2014 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन पैर (ग्रैंड पे) | : | 9300-34800 ग्रेड पे 6600 |
| (घ) वेतन | : | 20130+6600 = 26730/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 13365/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 5346/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 8019/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन दर पर | : | 13365/- दिनांक-30.06.2019 तब |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 8019/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 9 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 69200/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-

| | | |
|---|---|----------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 34600/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा जग होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेंटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक सामप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 34600/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 5346/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 29254/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (दर) हुई दर पर | : | 34600/- दिनांक-30.06.19 तब |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 20760/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आदेश के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो सामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनर्जांचित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किया जायेगा।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1256 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6289 / 15-16 दिनांक: 31.01.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वे. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बलिया को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बलिया।
- श्री तेज बहादुर यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, प्रथम- पल्लिगारा कला, पोस्ट-नसीरपुर कला, जिला-बलिया।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1264/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1550/03-04

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री इन्द्रेश कुमार रस्तोगी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री इन्द्रेश कुमार रस्तोगी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 1629 दिनांक 06.02.2004 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 28.12.1944 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती वसुधा रस्तोगी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 14.12.1949 |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.12.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 10000/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 3033/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6967/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 69550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 69550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 3033/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण लागू पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 66517/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 41730/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1264/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1550/03-04 दिनांक: 31.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम मुरादाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद को सेवामुक्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
4. श्री इन्द्रेश कुमार रस्तोगी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी-80, गांधी नगर, मुरादाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1262/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2241/04-05

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मिर्जापुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम नाथ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम नाथ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 2455 दिनांक 30.08.2005 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 03.01.1947 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | अंकित नहीं |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.01.2005 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम मेटनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 20000 + 10000 = 30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 14546/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2488/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 12058/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | लागू नहीं |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 64 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा फायरालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 69550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | 67443/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 67443/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 2488/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान र लिया जाये | : | 64955/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | लागू नहीं |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ता-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1262/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2241/04-05 दिनांक: 31.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मिर्जापुर
- श्री राम नाथ, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-8 III/309, ओबरा, सोनमद्र।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1217 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6581 / 16-17

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री नाहर सिंह, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री नाहर सिंह, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 5654 दिनांक 22.07.2016 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 01.07.1955 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती सरला सिंह |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 23.12.1958 |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.06.2015
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रे०पी० 6600
 (घ) वेतन : 29240 + 6600 = 35840/-
 (ङ) मूल पेंशन : 17920/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 7168/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10752/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : 17920/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10752/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 93000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%) : 48500/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 46500/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 7168/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 39332/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : 46500/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 27900/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

महोदय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1217 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6581 / 16-17 दिनांक: 31.01.19
प्रतिज्ञिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, गाजियाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
4. श्री नाहर सिंह, सं०नि० संगणक, निवासी-मो०-1/91, सुरेन्द्र नगर, अलीगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

31/1/19
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2349/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6713/16-17

दिनांक: 05.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

सिद्धार्थनगर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गिरजा शंकर मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गिरजा शंकर मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 5773 दिनांक 09.03.2017 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 20.04.1955 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती उर्मिला मिश्रा |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अज्ञित नहीं |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.04.2015 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बेड(ग्रेड) में | : | 9300-34800 ग्रेडपे0 6600 |
| (घ) वेतन | : | 29240+6600=35840/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17920/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7188/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10752/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17920/- दि० 19.04.2020 तक |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10752/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 की परिक्षीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंट्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 93000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|---------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 46500/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमय होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 46500/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 7188/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका राजान न लिया जाये | : | 39332/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 46500/- दि० 19.04.2022 तक |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 27900/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतन वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतन के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2349/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6713/16-17 दिनांक: 05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर।
- श्री गिरजा शंकर मिश्र से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-जवैनिहा, पोस्ट-बलुआ, जिला-गोरखपुर।
- सचिव, उ०प० पावर कोर्पोरेशन इम्प्लाइज टूरंट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2049/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5284/13-14

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
शामली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ओमपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ओमपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 5032 दिनांक 17.01.2014 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 01.12.1951 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती नरेश |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- | | | |
|--|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.11.2011 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन | : | 30970/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 15485/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6194/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9291/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6194/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:- | | 40 छमाही |
| (क) पेमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 80200/- |
- | | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 40100/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 40100/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 6194/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 33906/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 24060/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2049/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5284/13-14 दिनांक: 23.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बडौत, बागपत।
- श्री ओमपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-1328, गगन विहार, से०-01, शामली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सोल्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

(दीप चंद्र कापूर)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2047 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6341 / 15-16

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ब्रज मोहन तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ब्रज मोहन तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 5389 दिनांक 03.07.2016 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 14.02.1955 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती गीता तिवारी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 28.02.2015 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 30490/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 15245/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6098/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9147/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 15245/- दिनांक 13.02.2022 तक |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9147/- दिनांक 14.02.2022 से अग्रेतर |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेंमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 80200/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 40100/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या: 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमान्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 40100/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 6098/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उरकाका रांजान न लिया जाये | : | 34002/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 40100/- दिनांक 13.02.2022 तक |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 24060/- दिनांक 14.02.2022 से अग्रेतर |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2047 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6341 / 15-16 दिनांक: 23.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत विरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
- श्री ब्रज मोहन तिवारी, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-244/24, सत्यनगर, आर०पी० पब्लिक स्कूल के पीछे, रायबरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

मुख्य अभियन्ता
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1633/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/758/02-03

दिनांक: 12.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री हरि मोहन श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री हरि मोहन श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 1980 दिनांक 04.10.2004 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 08.08.1943 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.08.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 8550-13500 |
| (घ) वेतन | : | 10475/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 5169/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 1880/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3289/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3143/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 10 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 65000/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 32500/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 28050/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 32500/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 1880/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 30620/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 19500/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1633/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/758/02-03 दिनांक: 12.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वे. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत विवरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
- श्री हरि मोहन श्रीवास्तव, से०नि० कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय, निवासी-दनियालपुर, अहिमैला, आजमगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(दीप चन्द काण्डगाव) लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), लखनऊ

अभिनव



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1154/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4790/11-12

दिनांक: 30.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
बस्ती।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सैय्यद हामिद अली रिजवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सैय्यद हामिद अली रिजवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 4502 दिनांक 05.09.2011 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 06.12.1950 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती तमकीन हसनैन |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.01.1964 |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.12.2010 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 60640/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 30320/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 12128/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 18192/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 18192/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 58 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) पैमेटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 156600/- |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 78300/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 78300/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 12128/- |

4. राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 46980/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1154/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4790/11-12 दिनांक 30.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बस्ती।
3. श्री सैय्यद हामिद अली रिजवी, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-23/154, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1875/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2289/05-06

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रामपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मबरूर हसन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मबरूर हसन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 2519 दिनांक 08.11.2005 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 25.10.1946 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती सविहा निखत |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अकित नहीं |
- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.10.2004 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 8550-13500 |
| (घ) वेतन | : | 11300 + 5650 = 16950/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 8159/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 1908/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6251/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5085/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 64 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 69200/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 34600/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | 33552/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 33552/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 1908/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 31644/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 20760/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1875/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2289/05-06 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रामपुर।
- श्री मबरूर हसन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मदसैं आलिया तालाब, निहासउददीन, पुरानागंज, रामपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(दीर्घ-धनु) १९
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1727/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/583/01-02

दिनांक: 14.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री श्याम देव शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री श्याम देव शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 615 दिनांक 20.11.2001 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 13.07.1943 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती इन्द्रा देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अकित नहीं |
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.07.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 9118/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2593/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6525/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 61 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 69550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | 64282/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 65550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 2593/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 62957/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 41730/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1727/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/583/03-02 दिनांक: 14.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, कासिभपुर अलीगढ़।
- श्री श्याम देव शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-द्वारा श्री गंगा प्रसाद शर्मा 19/377 पर्ण कुटी गोपालपुरी अलीगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
(दीप कद काष्ठपाल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



संख्या: 1992/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/644/98-99

दिनांक: 22.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
हाथरस।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व० श्री हरी सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व० श्री हरी सिंह, सेवानिवृत्त कार्या० सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | पारिवारिक पेंशन |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 734 दिनांक 03.04.1998 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 04.03.1936 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती विद्या देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
2.

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 29.08.1995 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 3400-4750 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 3400-4750 |
| (घ) वेतन | : | 3625/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 600/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 11 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 74000/- |
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 22200/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1992/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/644/98-99 दिनांक: 22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हाथरस।
3. श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व० श्री हरी सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- ग्राम व पोस्ट- बनैल, जनपद- बुलन्दशहर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल),

कोषाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1821/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/413/01-02

दिनांक: 16.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मिर्जापुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम बिलास सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम बिलास सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 588 दिनांक 17.10.2001
(ग) जन्मतिथि : 02.03.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती कृष्णावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 01.02.1949
- (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.03.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : 8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 8550-13500
(घ) वेतन : 10750/-
(ङ) मूल पेंशन : 5375/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2150/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3225/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3225/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पेमेंटिक्स : 09
(ख) निर्धारित वेतन : 67200/-
- सशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 2150/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 31450/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 20180/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1821/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/413/01-02 दिनांक: 16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मिर्जापुर।
- श्री राम बिलास सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-७१०-सरेया, पो०-विधौरा उसमानपुर, स्टेशन रोड, चुनार, जि०-मिर्जापुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
मिर्जापुर (मि०)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1879/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2297/05-06

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बागपत।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महेन्द्रपाल यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महेन्द्रपाल यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है -

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 2580 दिनांक 16.12.2005 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 15.01.1947 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती सन्तोष यादव |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2005
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 16400-20000
 (घ) वेतन : 20000 + 10000 = 30000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 13410/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2473/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10937/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 6000/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 59 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 62174/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में रो जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 65550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2473/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये : 63077/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो के भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1879/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2297/05-06 दिनांक: 18.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बागपत
3. श्री महेन्द्रपाल यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-९६ए/२, जागृति विहार, मेरठ।
4. सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1873/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5065/12-13

दिनांक: 18.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बिजनौर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री अन्सार अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री अन्सार अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक | : | 4796 दिनांक 24.01.2013 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 21.05.1962 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती हशरत बेगम |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अकित नहीं |
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.05.2012 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे0पी0 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे0पी0 6600 |
| (घ) वेतन | : | 32170/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 16085/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6434/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9651/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | 16085/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9651/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 85100/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 42550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 42550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 6434/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाये | : | 36116/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | 42550/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 25530/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1873/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5065/12-13 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-चतुर्थ, गाजियाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- श्री अन्सार अली, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-अली पालुभाल कालोनी, मुनीरगंज, नजीबाबाद, बिजनौर।
- सचिव, उ0प्र0 पावर रोकटर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1724 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2282 / 05-06

दिनांक: 14.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गौतमबुद्धनगर(नोएडा)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सतीश कुमार रावल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सतीश कुमार रावल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 2511 दिनांक 25.10.2005 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 01.10.1948 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती सुदर्शन रावल |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.10.1950 |
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि : 30.09.2004
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान / वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 16400-20000
 (घ) वेतन : 20000+10000 = 30000 / -
 (ङ) मूल पेंशन : 15000 / -
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3007 / -
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 11993 / -
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 9000 / -
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 86 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेंसिटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100 / -
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550 / -
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550 / -
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550 / -
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 3007 / -
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 86543 / -
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730 / -
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1724 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2282 / 05-06 दिनांक: 14.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, नोयडा को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, नोयडा।
4. श्री सतीश कुमार रावल, से०नि० संगणक, निवासी- सी०- 18बी०, रजत विहार सेक्टर-62, नोयडा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1151/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4058/07-08

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फतेहपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०अभि० संख्या एवं दिनांक | : | 3395 दिनांक 16.10.2007 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 01.09.1947 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती इन्द्रावती श्रीवास्तव |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.08.2005
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 16400-20000
 (घ) वेतन : 20000 + 10000 = 30000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 14773/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 4049/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10724/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : ~~44773/-~~
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 9000/- (दीप चन्द काण्ठवाल)
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 65 छमाही
 लेखाधिकारी (पेंशन)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 68497/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 68497/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 4049/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाये : 64448/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : ~~68497/-~~
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/- (दीप चन्द काण्ठवाल)
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लामूनही
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के अनुसार पेंशनर द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभप्रद हो को भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 23.12.2016 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1151/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4058/07-08 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फतेहपुर।
3. श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-256/2 बी 2, हिम्मत गंज, प्रयागराज।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(दीप चन्द काण्ठवाल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1203/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4773/11-12

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मैनपुरी।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री भमौर सिंह भदौरिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री भमौर सिंह भदौरिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एव दिनांक | : | 4493 दिनांक 24.08.2011 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 01.12.1950 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती सावित्री देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.11.2010 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पी० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पी० 5400 |
| (घ) वेतन | : | 31240/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 15620/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6132/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9488/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | 15620/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9372/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेंमेटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 82600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 41300/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 41300/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 6132/- |

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | 41300/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 24780/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो उत्तर प्रदेश ही का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 29.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1203/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4773/11-12 दिनांक: 30.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मैनपुरी(उ०प्र०)।
3. श्री भमौर सिंह भदौरिया, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सामने वाली गली, रेलवे गाल गोदाम, फाटक के निकट, स्टेशन रोड, मैनपुरी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1213/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6622/16-17

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फतेहपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री विजय शंकर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री विजय शंकर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 5679 दिनांक 31.08.2016 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 26.01.1956 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती ममता त्रिपाठी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 18.08.1962 |
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.01.2016 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 36230/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 18115/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7246/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10869/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 18115/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10869/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदोषित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 95800/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 47900/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुरार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 47900/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 7246/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 40654/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 47900/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 28740/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मबदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1213/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6622/16-17 दिनांक: 31.01.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, फतेहपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फतेहपुर।
- श्री विजय शंकर त्रिपाठी, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-172-के, सिविल लाईन, फतेहपुर।
- संवेव, उ०प्र० पावर संक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(दीर्घ छापे कलाकार)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1155/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4306/08-09

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बाराबंकी।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीकान्त श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीकान्त श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 3907 दिनांक 04.04.2009 |
| (ग) जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | अंकित नहीं |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.05.2006 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 53600/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 26800/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6976/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 19824/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | 26800/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 16080/- (दीप चन्द का अग्रपुत्र) |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 69550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 69550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 6976/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 62574/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 41730/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1155/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4306/08-09 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बाराबंकी।
- श्री लक्ष्मीकान्त श्रीवास्तव, सं०गि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी-103, मयूर विहार कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(दीप चन्द का अग्रपुत्र)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1025/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5195/13-14

दिनांक: 25.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मन्तरजीत तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मन्तरजीत तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 4937 दिनांक 18.07.2013 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 02.11.1952 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती लीला देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.11.2012 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पी० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पी० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 33730/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 16865/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6746/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10119/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 16865/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10119/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 87700/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 43850/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 43850/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 6746/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 37104/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 43850/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 26310/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1025/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5195/13-14 दिनांक: 25.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
- श्री मन्तरजीत तिवारी, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-2/8, लेबर कालोनी, सहारनपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(टी० अरुण कुमार)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1024 मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/609/01-02

दिनांक: 25.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

रामपुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती अन्नपूर्ण गोयल पत्नी स्व० महेश कुमार गोयल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती अन्नपूर्ण गोयल पत्नी स्व० महेश कुमार गोयल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | पारिवारिक पेंशन |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 639 दिनांक 13.12.2001 |
| (ग) जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती अन्नपूर्ण गोयल |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| 2. (क) मृत्यु तिथि | : | 26.06.1998 (मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 18200/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5460/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 64 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 40500/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो कर भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1024/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/609/01-02 दिनांक: 25.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर को सेवागुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. श्रीमती अन्नपूर्णा गोयल पत्नी स्व० महेश कुमार गोयल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, निवासी-मौ०-कैथ वाली मस्जिद, रामपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइड ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1550/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6998/18-19

दिनांक: 08.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बलिया।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री शिव गोपाल राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री शिव गोपाल राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक | : | 6076 दिनांक 18.07.2018 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 03.06.1951 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती माया देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.06.2010 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 37400-67000 ग्रे0पी0 8900 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे0पी0 8900 |
| (घ) वेतन | : | 61290/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 25645/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 10258/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 15387/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 25645/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 15387/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%) | : | 67500/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 67500/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 10258/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 67242/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 67500/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 40500/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1550/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6998/18-19 दिनांक: 08.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बलिया।
- श्री शिव गोपाल राम, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-रामपुर महावल निकट-चन्द्रशेखर नगर, बलिया।
- रुचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ड्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(टी०) लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1798/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6101/14-15

दिनांक: 16.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री ओमनाथ गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री ओमनाथ गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 5131 दिनांक 16.06.2014 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 11.09.1950 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती शकुन्तला गुप्ता |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 08.05.1957 |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.09.2010 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन | : | 31240/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 15620/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6248/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9372/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | 15620/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9372/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40-रजमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 82600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 41300/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 41300/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 6248/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 35052/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 24780/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1798/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6101/14-15 दिनांक: 16.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
- श्री ओमनाथ गुप्ता, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी 195, सदर बाजार कैंन्ट, वाराणसी।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(सचिव कक्ष कारपोरेशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1306/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6815/17-18

दिनांक: 01.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
महोबा।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री अनिरुद्ध सिंह, रोवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री अनिरुद्ध सिंह, रोवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 5866 दिनांक 14.07.2017
(ग) जन्मतिथि : 01.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : मृत्यु
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : अंकित नहीं
2. (क) रोवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.06.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 16400-20000
(घ) वेतन : 20000/-
(ङ) मूल पेंशन : 9848/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2776/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 7072/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 9848/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 65 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-
(क) पैगेंटिक्स : 13
(ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन--
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%) : 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 2776/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाये : 65721/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा पदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1306/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6815/17-18 दिनांक: 01.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, बंड, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, महोबा को सेवापुरिवाक्य मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री अनिरुद्ध सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-विकास खण्ड, गोमाती नगर, 3/395, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी (हाइड्रिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1221 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 165 / 2000-01

दिनांक: 31.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

आदर्श कोषागार,
मेरठ।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० चेतन प्रकाश गोयल, से०नि० अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० चेतन प्रकाश गोयल, से०नि० अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | पारिवारिक पेंशन |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 210 दिनांक 19.09.2000 |
| (ग) जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का भाग | : | श्रीमती लक्ष्मी देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 01.02.1998 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(बैंड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 18200/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (व) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (झ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ञ) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (ञ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5460/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 58 छगही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा पेशीकृत पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैगैटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को राशिकृत पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन पैगैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | लागू नहीं |
| (व) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ञ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 40500/- |
| (ञ) अतिरिक्त पेंशन (अयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा राशिकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में पेंशन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का अनुसूक्तानुसार पुनरीकृत/राशिकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

गवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1221 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 165 / 2000-01 दिनांक: 31.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

पंजीकृत -
पंजीकृत--

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० चेतन प्रकाश गोयल, अवर अभियन्ता, निवासी-75 ए-धवन गिरी, से० 11, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर कोर्पोरेशन इम्प्लाइज्ज ट्रेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1822/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1079/02-03

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महेन्द्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 1114 दिनांक 13.02.2003 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 03.10.1944 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती नीलांजना जैन |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| (च) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.10.2002 |
| (छ) तत्समय लागू वेतनमान | : | पचम वेतनमान |
| (ज) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (झ) वेतन | : | 20000/- |
| (ञ) मूल पेंशन | : | 5589/- |
| (ट) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2235/- |
| (थ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3354/- |
| (द) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (ण) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5589/- |
| (त) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 55 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|---------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%) | : | 69550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | 57959/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 65550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 2235/- |

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 41730/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1822/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1079/02-03 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
- श्री महेन्द्र कुमार जैन, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवारी-26/01, गार्डन न्यू कालोनी, देहली रोड, मेरठ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1269/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4291/08-09

दिनांक: 31.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

जौनपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 3904 दिनांक 20.03.2009 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 05.07.1948 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती शकुन्तला |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.07.2006 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बेड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 56870/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 28435/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7186/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 21249/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | 28435/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 17061/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) मैट्रिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 147600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 73800/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 73800/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 7186/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये | : | 66614/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | 73800/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 44280/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1269/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4291/08-09 दिनांक: 31.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जौनपुर।
3. श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-68, कजगाँव रोड, लाइन बाजार, जौनपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम चन्द्र
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1876 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2406 / 05-06

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
जौनपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मुनिराज यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मुनिराज यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 2617 दिनांक 21.01.2006 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 12.08.1947 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती देवराजी देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- | | | |
|----------------------------------|---|------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.08.2005 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 8550-13500 |
| (घ) वेतन | : | 10475/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 7836/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 3134/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 4702/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3143/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 65200/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 32600/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 32600/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 3134/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 29466/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 19560/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
(दीप चक्र)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या: 1876 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2406 / 05-06 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जौनपुर।
- श्री मुनिराज यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-रायपुर नयापुर, पो०-सुखलालगंज, जन०-जौनपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1145/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2385/05-06

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बरेली।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रभा शंकर शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रभा शंकर शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 2495ए दिनांक 27.12.2005 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 08.04.1946 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती कुसुम लता शर्मा |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.04.2004 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 20000 + 10000 = 30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 12955/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2401/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10554/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 12955/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 57 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 69550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | 60066/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65650/- |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 65550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 2401/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 63149/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 65550/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 41730/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2018 के अन्तर्गत कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 29.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में नृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1145/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2385/05-06 दिनांक: 30.01.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।
- श्री प्रभा शंकर शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-72, पंजाबपुरा, गुलाब नगर, बरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1925/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4787/11-12

दिनांक: 20.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बरेली।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री चन्द्र गोपाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री चन्द्र गोपाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०अभि० संख्या एवं दिनांक | : | 4499 दिनांक 02.09.2011 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 25.07.1950 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती गीता सक्सेना |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.11.1955 |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2010
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
 (घ) वेतन : 62160/-
 (ङ) मूल पेंशन : 31080/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 10324/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 20756/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 18648/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 161300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 80650/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 80650/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 10324/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 70326/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 48390/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1925/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4787/11-12 दिनांक: 20.02.2019

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।
3. श्री चन्द्र गोपाल, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-उत्सव, 174, पार्ट-02, महानगर, बरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(श्री चन्द्र गोपाल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1926/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4710/10-11

दिनांक: 20.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बरेली।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 4330 दिनांक 29.03.2011 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 24.02.1949 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती मिथलेश कुमारी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 26.02.1954 |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 28.02.2009
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
 (घ) वेतन : 58580/-
 (ङ) मूल पेंशन : 29290/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 9730/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 19560/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 17574/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 152000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 76000/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 76000/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 9730/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सज्जान न लिया जाये : 66270/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 45600/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1926/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4710/10-11 दिनांक: 20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।
3. श्री शिव कुमार सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी-07, सर्वोदय नगर, बदायूँ रोड, बरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन, (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1780/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4510/09-10
मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

दिनांक: 15.02.19

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती राज बाला शर्मा पत्नी स्व० कामेश्वर प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती राज बाला शर्मा पत्नी स्व० कामेश्वर प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | पारिवारिक पेंशन |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 4108 दिनांक 15.02.2010 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 01.01.1949 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती राजबाला शर्मा |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- (क) मृत्यु तिथि : 31.12.2008 / 23.02.216(मृत्यु)
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 9300-34800 ग्रे०पी० 5400
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रे०पी० 5400
 (घ) वेतन : 29440/-
 (ङ) मूल पेंशन : 14720/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 5218/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 9502/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : 14720/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 8832/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदोषित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 77900/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 38950/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 38950/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 5218/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 33732/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 23370/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

(दीप चन्द कापूरदास)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल),
लखनऊ

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1780/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4510/09-10 दिनांक: 15.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद।
- श्रीमती राज बाला शर्मा पत्नी स्व० कामेश्वर प्रसाद शर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, सं०न० ठ-3 एल०आई०जी० नवीन नगर एम०डी०ए० कालोनी मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(दीप चन्द कापूरदास)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1214 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4874 / 11-12

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रईस अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रईस अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 4590 दिनांक 08.02.2012 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 06.01.1949 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती शमीम अख्तर |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 04.04.1953 |
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.10.2009 |
| (ख) लक्ष्यमय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन | : | 29440/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 14720/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 5332/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9388/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 14720/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 8832/- (दीप चन्द) |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्ल | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 77900/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 38950/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 38950/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 5332/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 33618/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 28950/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 23370/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के अन्तर्गत कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षण के अन्तर्गत वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1214 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4874 / 11-12 दिनांक: 31.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०१० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- श्री रईस अहमद, से०भि० अवर अभियन्ता, निवासी-1210, गली नं०-07, चौहान बोगर, दिल्ली-53।
- सचिव, उ०१० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत
पंजीकृत-

(दीप चन्द काण्डपाल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1874/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/185/2000-01

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गोपाल टण्डन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गोपाल टण्डन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 205 दिनांक 15.09.2000 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 20.05.1942 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | मृत्यु |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.05.2000 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 17750/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 8695/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2468/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6227/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | लागू नहीं |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेंमेटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन-

| | | |
|--|---|--------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 67500/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 67500/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | पुनर्स्थापित |

| | | |
|--|---|-----------|
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 67500/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | लागू नहीं |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1874/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/185/2000-01 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।
- श्री गोपाल टण्डन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-2/36, वृज धाम कालोनी, रेलवे, हडलता कालोनी, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर संक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(दीय पत्र कार्यालय)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1556/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5243/13-14

दिनांक: 08.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मथुरा।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 4897 दिनांक 10.06.2013 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 01.02.1952 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती रामवती देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2012
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 9300-34800 ग्रे०पे० 6600
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रे०पे० 6600
 (घ) वेतन : 33380/-
 (ङ) मूल पेंशन : 16690/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6876/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10014/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 16690/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10014/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 87700/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 43850/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 43850/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 6876/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 37174/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 43850/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 26310/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुफ्तान तत्समय में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1556/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5174/13-14 दिनांक: 08.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गुप्ता कालोनी, बलदेव रोड, मथुरा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
(दीप कन्ड काण्डपाल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल),
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1801/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3018/07-08

दिनांक: 16.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मथुरा।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सतेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सतेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 3501 दिनांक 04.03.2008 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 19.01.1944 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती लक्ष्मी देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 10.01.1951 |
- | | | |
|----------------------------------|---|------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.01.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 8550-13500 |
| (घ) वेतन | : | 10475/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 4350/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 1551/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2799/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3143/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 56 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 65200/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 32600/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | 27661/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 27661/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 1551/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 26110/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 19560/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1801/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3018/07-08 दिनांक: 16.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०१० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, मथुरा को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- श्री सतेन्द्र पाल सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-52 वैरुआ प्रताप नगर, महौली रोड, मथुरा।
- सचिव, उ०१० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(दोष संशोधन)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

अवर अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1625/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2834/06-07
मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

दिनांक: 12.02.19

पजीकृत

जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० बंदी प्रसाद श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० श्री बंदी प्रसाद श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : पारिवारिक पेंशन |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : 3057 दिनांक 14.11.2006 |
| (ग) जन्मतिथि | : 13.01.1948 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : 16.04.1952 |
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| (क) मृत्यु तिथि | : 19.12.2005 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : 20000+10000=30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : 9000/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : 66 छंमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | |
|--------------------|------------|
| (क) पेमेंटिक्स | : 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : 139100/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | |
|--|-------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : 41730/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के अन्तर्गत कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु 4 (ग) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1625/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2834/06-07 दिनांक: 12.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेंब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड परीछ झांसी।

3. श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० बंदी प्रसाद श्रीवास्तव सं०नि० अवर अभियन्ता, 75/19, टाइप-1(I),

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इन्फ्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पजीकृत-
पजीकृत

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
जिला कोषागार (झांसी)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
जिला कोषागार (झांसी)

उपमुख्य मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1581/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2088/04-05

दिनांक: 11.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री लक्ष्मण शरण गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री लक्ष्मण शरण गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 2443 दिनांक 24.08.2005 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 01.07.1946 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती गीता रानी गुप्ता |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| 2. (क) सेवानिवृत्त तिथि | : | 30.06.2004 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 20000+10000=30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 15000/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2994/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 12006/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 45000/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|---------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 69550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | - |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 69550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 2994/- |

| | | |
|--|---|-------------|
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 68556/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 41730/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1581/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2088/04-05

दिनांक: 11.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उपमुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय लेखा एवं भुगतान खण्ड, पारीछा झांसी।
3. श्री लक्ष्मण शरण गुप्ता, सं०नि० अवर अभियन्ता, 109-सी०, सवधर्म कालोनी, कोलार रोड़, भोपाल उ०प्र०।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

(दीप चन्द्र शर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कारपोरेशन मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या: 1581/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2088/04-05



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1212/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4817/11-12

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सैयद अली अन्सारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सैयद अली अन्सारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 4538 दिनांक 20.10.2011 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 01.05.1949 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती मदीना खातून |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.04.2009 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 37400-67000 ग्रे०पी० 8900 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पी० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 60340/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 30170/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 9730/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 20440/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 20440/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 18102/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 166600/- |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 78300/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 78300/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 9730/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|---|---|-----------|
| (क) पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 68570/- |
| (ख) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 78300/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 46980/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के अन्सार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभप्रद हो के पुनरीक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 21.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1212/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4817/11-12 दिनांक: 31.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, गोरखपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
- श्री सैयद अली अन्सारी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मो०-दुसेनाबाद, निकट-मस्जिद, बैतलनूर चकसा, हुसैन, पो०- गोरखनाथ, गोरखपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत
पंजीकृत-

(दीप चन्द कण्डपाल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1208/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2264/04-05

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री भोला नाथ यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री भोला नाथ यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 2486 दिनांक 01.10.2005
(ग) जन्मतिथि : 29.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती राजपती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 16400-20000
(घ) वेतन : 20000/-
(ङ) मूल पेंशन : 9204/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2434/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 6770/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : 02264/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 62 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-
(क) पेमेंटिक्स : 13
(ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 2434/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 63116/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : 65550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के अन्तर्गत सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 29.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1208/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2264/04-05 दिनांक: 31.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय, गोरखपुर की सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
4. श्री भोला नाथ यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम०-भरवलिया, तारा मण्डल रोड, पी०-शिवपुरी कालोनी, गोरखपुर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(दीप चन्द काण्डहणन)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1157/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2468/05-06

दिनांक: 30.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्वेत केतु, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्वेत केतु, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 2695 दिनांक 22.03.2005 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 13.08.1947 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती कमला देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.08.2005 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 20000 + 10000 = 30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 15000/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2845/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 12155/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 13 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 69550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 69550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 2845/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 66705/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 41730/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1157/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2468/05-06 दिनांक: 30.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री श्वेत केतु, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-7, जगृति विहार से०-23, संजय नगर, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

अभि० (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1763/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6571/16-17

दिनांक: 15.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 5644 दिनांक 30.06.2016 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 24.06.1954 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती रानी मयकंड |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.06.2014 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 34790/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17395/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 8958/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10437/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | 17395/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10437/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 90300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 45150/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 45150/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 6958/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 38192/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | 45150/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 27090/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो कर भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1763/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6571/16-17 दिनांक: 15.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, पेव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
3. श्री जगन्नाथ, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-डब्लू ए०-64, शंकर पुरा, दिल्ली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(दीप संजय काण्हाण्ड)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल),
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2044/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4725/11-12

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उन्नाव।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बाल कृष्ण वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बाल कृष्ण वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पीपीओओ संख्या एवं दिनांक | : | 4445 दिनांक 30.04.2011 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 02.12.1950 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती चन्द्रावती |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.12.2010 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन | : | 30660/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 15330/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6132/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9198/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9198/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 80200/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 40100/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 40100/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 6132/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 33968/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 24060/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2044/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4725/11-12 दिनांक: 23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उन्नाव।
- श्री बाल कृष्ण वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-416, हिरन नगर, उन्नाव।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

भवदीय



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2046/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4922/12-13

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

उन्नाव।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जनमेजय सिंह यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जनमेजय सिंह यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 4636 दिनांक 19.05.2012 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 09.11.1951 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | अंकित नहीं |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.11.2011 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पी० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पी० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 32780/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 16390/- |
| (च) पेंशन का राशिकृता भाग | : | 6316/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10074/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | लागू नहीं |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 85100/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 42550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 42550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 6316/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो युक्त है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 36234/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | लागू नहीं |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2046/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4922/12-13 दिनांक 23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उन्नाव।
- श्री जनमेजय सिंह यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ए-288, आ०वि० कालांनी, उन्नाव।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

मुख्य अभियन्ता (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल),



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1825/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/518/01-02

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री लाल बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री लाल बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 2132 दिनांक 18.03.2005 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 06.05.1943 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती जयरानी देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.05.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 8550-13500 |
| (घ) वेतन | : | 10200/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 4836/- |
| (च) पेंशन का राशिंकृत भाग | : | 1934/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2902/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3060/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 64 छनाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स | : | 09 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 63300/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 31650/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | 30691/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 30691/- |
| (ङ) राशिंकृत पेंशन | : | 1934/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये | : | 28757/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 18990/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1825/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/518/01-02 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
- श्री लाल बहादुर सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-चकला, पो०-सराय मंमरेज, जिला-प्रयागराज।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

श्री लाल बहादुर सिंह

मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1026/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/102/2000-01

दिनांक: 25.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गंगा मणि गिरि, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गंगा मणि गिरि, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार | : | अधिवर्षता |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | : | 132 दिनांक 20.06.2000 |
| (ग) जन्मतिथि | : | 05.03.1940 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | : | श्रीमती लक्ष्मी देवी गिरी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं |
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.03.1998 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रैंड पे) | : | 8550-13500 |
| (घ) वेतन | : | 10200/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 5100/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 1996/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3104/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | 5400/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3104/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विधित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

| | | |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेंमैटिक्स | : | 10 |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 63100/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

| | | |
|--|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | : | 31550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 28050/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 31550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन | : | 1996/- |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 29554/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | 31550/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | : | 18930/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के अन्तर्गत (क) गिरि द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को संशोधित हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1026/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/102/2000-01 दिनांक: 25.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय, प्रयागराज को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
- श्री गंगा मणि गिरी, सं०नि० संगणक, निवासी-184/31, पुराना अल्लापुर, प्रयागराज।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(दीप चन्द्र काफ़रपाल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)